



Neutral Citation No. - 2026:AHC:28065

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - **135/2026**

श्रीमती ज्ञानमती

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: प्रभात कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. मामला संशोधित काल में लिया गया है।
2. संशोधित काल में भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. 12.01.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

"1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह आपत्ति उठाई है कि रिट याचिका 13 वर्ष की देरी से बाधित है।

2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त पहलू का परीक्षण करना चाहते हैं।

3. इस मामले को 20.01.2026 को नए मामले के रूप में सूचीबद्ध करें।"

4. आज भी कोई उपस्थित नहीं है।
5. रिट याचिका पैरवी के अभाव में खारिज की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"